

10



माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. 11/2017 निगरानी

ल ७२७ - प ११

- 1 जितेन्द्र जैन पुत्र श्री सुआलाल जैन
- 2 श्रीमति बीना जैन पत्नी जितेन्द्र जैन
निवासीगण— खारा कुओं टेकरी
शिवपुरी म0 प्र0 द्वारा मुख्यारआम
शिखरचंद्र जैन पुत्र सुआलाल जैन
निवासी खारा कुआ टेकरी शिवपुरी

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- 1 म0 प्र0 शासन द्वारा अधीक्षक
भू अभिलेख शिवपुरी
- 2 मांगीलाल पुत्र भगवानसिंह
- 3 राम सिंह पुत्र गोपाल सिंह राठौर,
निवासीगण लल्लापुरा मुरैना
- 4 श्रीमति रजनी पत्नी अवधेश किरार
निवासी कोट रोड शिवपुरी
- 5 श्रीमति सरबदी पत्नी रामकुमार वर्मा
निवासी राठौर जिला शिवपुरी
- 6 नक्टु पुत्र भूदो निवासी ग्राम सांपरारा
पोहरी जिला शिवपुरी

.....रेस्पॉन्डेंट्स

राजस्व शासन अनुमति दोष गवालियर

अनुमति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग0 727-दो/17

जिला – शिवपुरी

क्रमांक तथा तिथि	भवयाकी तथा आदेश	मतभाले एवं अधिकारी अधिकारी
03-10-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ईजेन्ह छैन एवं अनावेदक क्रमांक-1 म०प्र० शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बघेय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को प्रकरण की ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र. 159/13-14/स्व० निग0 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2. आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि 10 वर्ष उपरांत भूमि का विक्य किए जाने पर अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मंडल के कुछ न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है यह भी कहा गया कि वे तृतीय केता हैं इस बिंदु पर अपर कलेक्टर ने विचार नहीं किया है।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे की भूमि है, जिसका अंतरण बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के किया गया है, इस कारण अपर कलेक्टर ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर जो आदेश पारित किया है वह उचित है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत राजस्व मंडल के हैं जबकि अपर कलेक्टर ने जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किये हैं वे माननीय उच्च न्यायालय के हैं। उनके द्वारा निगरानी अग्राह्य किये जाने का नियेदन किया गया है।</p> <p>4/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण शासकीय पट्टे की भूमि को बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के विक्य के संबंध में है। अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा अपने आदेश में यह पाया है</p>	<p>मतभाले एवं अधिकारी अधिकारी के हस्ताक्षर</p>


~
~
~

रता

लोक सभा
विभाग

प्रधानमंत्री

कि विवादित भूमि शासकीय भी जिसका विकाय पटेलसारी धारा विवा सहम प्राधिकारी की घोषनामति के आवेदकों को किया गया है। सहितर की धारा 165-7 (ख) के अनुसार प्राप्त भूमि को बिना कलेक्टर की घोषनामति के विकाय नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की संज्ञयीष्ठ धारा न्यायदृष्टांत 2002 आरण्डन 250 में वह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 (परिव्रो) 158(3) तथा 165(7) (ख) ~ धारा 158 (3) के अधीन भूमि का अंतरण - धारा 165 (7) (ख) के उपांशों के अधीनीन है अर्थात् कलेक्टर की अनुज्ञा आवश्यक है। यदि अनुमति के बिना विकाय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्राप्त से ही शून्य एवं अकृत है। न्यायदृष्टांत 2009 आरण्डन 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त नियम पर आधारित है में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 165 (7) (ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई। 10 वर्ष उपरांत पटेलदार भूमिस्थानी स्वतंत्र प्राप्त हो गये तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है। यदि अनुमति के बिना विकाय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्राप्त से ही शून्य एवं अकृत है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत को दृष्टिगत रूपते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है उसमें हस्ताक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निर्गतानी ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


प्रशांत सरदेसै